



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 349 राँची, शुक्रवार,

9 जून, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 मई, 2023

संख्या-5/आरोप-1-20/2017-21318 (HRMS)--श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-250/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-52(ii)/ स्था०, दिनांक-02.02.2017 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। प्रपत्र-‘क’ में श्री कुमार के विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये-

आरोप- सिमडेगा जिला अन्तर्गत कुरडेग प्रखण्ड में पदस्थापित श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग द्वारा सरकारी आवास के चाहारदिवारी के अंदर स्थित शीशम के पेड़ को बिना औपचारिकता पूर्ण किये कटवाकर निजी उपयोग किया जाना तथा कर्णांकित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग के सरकारी आवास में रहते हुए अवैध रूप से मकान किराया भत्ता राशि की निकासी करना।

आरोप का विवरण-(i) मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र झारखण्ड में दर्ज शिकायत संख्या-2016-59977 के अनुसार “कुरडेग प्रखण्ड कार्यालय के सामने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार के सरकारी आवास के गेट के दोनों तरफ के शीशम के पेड़ को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग द्वारा

कटवाकर निजी उपयोग हेतु फर्नीचर बनवाकर अपने स्थायी आवास (पलामू) में भेज दिया गया है।” इस Grievance की जाँच हेतु श्री दिलेश्वर महतो, अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के निदेश के आलोक में श्री कुमार मयंक भूषण, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा द्वारा जाँच कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-386/सा०, दिनांक 14.09.2016 द्वारा समर्पित किया गया। पुनः उक्त शिकायत के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा श्री कुमार मयंक भूषण, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के साथ स्थलीय जाँच किया गया। जाँच के दौरान श्री संजय बाखला वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, कुरडेग एवं श्री बलराम नायक वनपाल-सह-वन परिसर पदाधिकारी, कुरडेग उपस्थित थे। साथ ही साथ प्रखण्ड/अंचल कर्मियों से भी पूछताछ की गयी, जिसका जाँच प्रतिवेदन अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक-557/गो० दिनांक 16.09.2016 द्वारा कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा का जाँच प्रतिवेदन, प्रधान लिपिक अंचल कार्यालय, कुरडेग का लिखित बयान, वनपाल सह वन परिसर पदाधिकारी कुरडेग का लिखित प्रतिवेदन मो० हुसैन, प०स०स० कुरडेग का लिखित बयान तथा अंचल नाजिर का लिखित बयान अनुलग्नक सहित प्राप्त हुआ है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग के सरकारी आवास के अन्दर दोनों छोर में शीशम का पेड़ था। जाँच के दौरान दोनों पेड़ नहीं पाया गया। पेड़ का निचला हिस्सा मौजूद था। जिसे देखने पर पता चलता था कि पेड़ को आरी द्वारा काटा गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी के प्रभार में रहते हुए श्री कुमार को पेड़ काटने तथा इसके निष्पादन में विहित सरकारी प्रक्रिया का अनुपालन करना था, परन्तु उनके द्वारा कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाया गया है। इसके लिए पूर्णरूपेण दोषीदार एवं जिम्मेवार है।

प्रथम द्रष्टया श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग अनधिकृत रूप से सरकारी पेड़ काटने के मामले में दोषी पाये गये हैं। उनके विरुद्ध अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा सुसंगत प्रावधानों के तहत पत्रांक-562/गो० दिनांक-18.09.2016 द्वारा थाना प्रभारी, कुरडेग को पत्र निर्गत किया गया है, जिसके आलोक में थाना प्रभारी कुरडेग द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

(ii) श्री मनोज कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग द्वारा मकान भाड़ा की राशि अवैध तरीके से निकासी की गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का आवास कर्णांकित है। वे सरकारी आवास में रहकर मकान भाड़ा भत्ता निकासी किये हैं तथा योजना-सह-वित्त विभाग व्यक्तिगत दावा निर्धारण कोषांग झारखण्ड सरकार को गुमराह में रख कर विभाग से वेतन पूर्जा निर्गत कराया गया है। वेतन पूर्जा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मकान किराया भत्ता नियमानुसार देय होगा, जिसका अनुपालन श्री कुमार द्वारा नहीं किया गया है।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-27132(HRMS), दिनांक 02.12.2019 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-81, दिनांक 02.02.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच

प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4174, दिनांक 13.07.2022 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 18.08.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है।

श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR JHK/JAS/160	श्री मनोज कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुरडेग, सिमडेगा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
